



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13294

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट संख्या 562 सन् 2026

बानी सिंह और 20 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शिवेंद्र कुमार गुप्ता

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेंद्र कुमार गुप्ता और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेंद्र कुमार गुप्ता ने याचिकाकर्ता संख्या 562 की ओर से रिट याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता संख्या 8 को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है। अतः, याचिकाकर्ता संख्या 8 के संबंध में रिट याचिका खारिज की जाती है, ताकि वे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में जा सकें।
3. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी नियुक्ति 1998 से पहले सिविल पुलिस में हुई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है और वे 2 दिसंबर 2000 को जारी शासनादेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के हकदार हैं।
4. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे शासनादेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए 19 वर्ष की सेवा की गणना करते समय याचिकाकर्ताओं द्वारा कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति से पहले सेवा अवधि में बिताए गए समय को ध्यान में रखें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सिविल विविध मामले में 7 सितंबर 2012 को पारित निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं जताई। **रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)** के साथ-साथ इसी प्रकार की याचिका, **रिट ए संख्या 6429/2018 (दिनेश कुमार शुक्ला और 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य)**, जिसका निर्णय 22.02.2018 को हुआ था। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस न्यायालय के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत अंतरा-न्यायालय अपील में चुनौती दी गई थी और इस पर दिनांक 07.09.2016 के निर्णय और आदेश द्वारा निर्णय लिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं के दावे को **सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 44330/2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)** में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय और आदेश के अनुसरण में उचित ठहराया गया था।

6. मामले की गुण-दोषों पर विचार किए बिना, न्यायालय में दिए गए निवेदनों पर गौर करते हुए, याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि पुलिस मुख्यालय, लखनऊ स्थित पुलिस उप महानिरीक्षक को याचिकाकर्ता के दावे पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

20 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।